समाहरणालय, मधेपुरा
(आपूर्ति शाखा)
आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार पटना के पत्र (पत्रांक 1316/खाद्य दिनांक 23.02.16, पत्रांक 3738/खाद्य/पटना दिनांक 21.06.16,पत्रांक 3995 खाद्य पटना दिनांक-5.7.16) के आलोक में SECC डाटा के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् लक्षित जन वितरण प्रणाली अंतर्गत राशन कार्ड से संबंधित त्रुटियों का निराकरण, अयोग्य लाभुकों के राशन कार्ड का रद्दीकरण, चिन्हित लाभुकों के का UIDAI से संबंद्धता स्थापित कर आधार कार्ड पंजीकरण, पात्र लाभुकों का बैंक खाता,बैंक का नाम सहित मोबाईल संख्या संग्रहण किया जाना है। सर्वेक्षण उपरांत प्राप्त डाटा का राशन कार्डो की डेटाबेस (database) के आधार पर, आधार खाता तथा बैंक खाता की सीडिंग की कार्रवाई की जानी है।

(2) बिहार सरकार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्र सं0(पत्रांक-प्र0 06-विविध 49/13-03 खाद्य पटना/01.04.14) के आलोक में ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों की पहचान के लिए मानक तैयार किया गया है। उन मानकों के आधार पर पूर्व से सम्मिलित लाभूकों में से अयोग्य परिवारों की पहचान कर उन्हे लाभूकों की सूची से हटाए जाने की कार्रवाई की जानी है।

(3) राशन र्कांड लाभार्थियों के सत्यापन सुयोग्य पात्र परिवारों की पहचान तथा उपरोक्त वर्णित कार्यो के सम्पादन हेतु निम्नवत् समय सीमा तय की जाती है-

क0	कार्य का नाम	समय सीमा	क्रियान्वयन करने वाले कर्मी पदाधिकारी
क	जिला आपूर्ति कार्यालय से प्रपत्रों को प्राप्त करना	25.07.16 से 26.07.16 तक	जिला आपूर्ति पदाधिकारी/ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी
ख	जिला आपूर्ति पदाधिकारी से प्रपत्र संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करना	26.07.16	जिला आपूर्ति पदाधिकारी/ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी
ग	सत्यापन एवं डाटा संग्रहण प्रपत्रों को अधीनयथ विकास मित्र/आवास सहायक को हस्तगत कराना	26.07.16 से 27.07.16 तक	प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/विकास मित्र/ आवास सहायक
घ	प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा अधीनस्थ कर्मियों को प्रपत्र की जानकारी तथा सर्वेक्षण संबंधित प्रशिक्षण देना।	28.07.16	प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/विकास मित्र/ आवास सहायक/पंचायत सचिव,
ड़	(क) सत्यापन एवं डाटा संग्रहण प्रपत्र में अयोग्य/डुप्लीकेट लाभुकों को चिन्हित करना (विहित प्रपत्र के अभ्युक्ति में अपात्रता के कारण को दर्शाया जाना आवश्यक है। (ख) विहित प्रपत्र में आधार कार्ड तथा बैंक खाता का संग्रहण	28.07.16 से 13.08.16 तक	सर्वेक्षणकर्ता- संबंधित पंचायत के विकास मित्र/आवास सहायक पर्यवेक्षक-संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव नियंत्रण पदाधिकारी-प्रखंड विकास पदाधिकारी

च	सत्यापन के पश्चात अयोग्य पाए गए लाभार्थियों के राशन कार्डो को अनुमंडल स्तर पर अभियान चलाकर रद्द करने की कर्रवाई किया जाय।	16.08.16 से 31.08.16	अनुमंडल पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी
छ	जिला स्तर पर संग्रहित प्रपत्र से डाटा संग्रहण के उपरांत प्रपत्र में भरी गई प्रविष्टियों का मिलान/विहित प्रपत्रों का scan करना/प्रविष्टि कार्य के उपरांत checklist print कराकर मूल संग्रहित प्रपत्रों से प्रखंड स्तरीय कर्मियों द्वारा मिलान करना/मिलान के उपरांत पाए गए अशुद्धियों को भेंडर द्वारा पुनः software के माध्यम से अद्यतन किया जाना।	30.07.16 से 13.09.16 तक	नमित एजेंसी/प्र0 आपूर्ति पदा0/प्रखंड स्तरीय कर्मी

4. पंचायतों में पात्र लाभुकों के सत्यापन का कार्य संबंधित पंचायत के विकास मित्र तथा आवास सहायक (इंदिरा आवास योजना) के द्वारा किया जाएगा।
5. पंचायतों में विकास मित्र तथा आवास सहायकों में पर्यवेक्षण हेतु संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव पर्यवेक्षीय पदाधिकारी नियुक्त किए जाते है।
6. लाभुक के सत्यापन में कार्यरत अधीनस्थ कर्मियों के द्वारा ससमय कार्य पूरा कराने की जिम्मेवारी संबंधित
   प्रखंड विकास पदाधिकारी की होगी। प्रखंड विकास पदाधिकारी स्वंय सर्वेक्षण कार्यो का पर्यवेक्षण करेगें तथा अनुमंडल पदाधिकारी को इससे अवगत करायेगें।
7. आवश्यकतानुसार जाँच दल के गठन में टोला सेविका/आंगनबाड़ी सेविका/ कृषि सलाहकार की सेवा ली जा सकती है जिस संबंधित आदेश प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से निर्गत करेगें।
8. अनुमंडल पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे प्रतिदिन इसकी समीक्षा करेगें तथा निर्धारित प्रपत्र i ii iii तथा iv में प्रतिदिन जिला आपूर्ति कार्यालय को प्रतिवेदन से अवगत कराऐगें। ज्ञात हो कि इसकी समीक्षा प्रधान सचिव महोदय के स्तर में प्रतिदिन की जाती हैं।
9. जिला आपूर्ति पदाधिकारी अनुमंडलों से प्राप्त प्रतिवेदनों को संकलित कर विभाग को ससमय उपलब्ध करायेगें।
10. डाटा स्त्यापन हेतु प्रिंट कराये गए राजस्व ग्रामवार पंजी को डाटा सत्यापन करने के पश्चात् डाटा तैयार करने हेतु संबंधित प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को समन्वयक (co-ordinator) बनाया जाता है।
11. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी कि वे डाटा सत्यापन के पश्चात् ग्रामवार पंजियों को प्राप्त कर सत्यापनोपरांत डाटा को विभागीय प्रपत्र I एवं II में संचलित कर प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराए।
12. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सत्यापनोपरांत ग्रामवार प्राप्त डाटा पंजी को सुरक्षित रखेगें, तथा ग्रामवार डाटा पंजी को प्रविष्ट एवं अद्यतन करने हेतु नामित भेंडर (vendor) को उपलब्ध कराऐगें। प्रविष्ट कार्य के पश्चात् उपरोक्त पंजी को प्राप्त कर पुनः सुरक्षित रखा जायेगा।
13. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सत्यापनोपरांत डाटा पंजी से अपात्र परिवारों की चिन्हित कर उसका प्रतिवेदन

संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध करायेगें, जिसके आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी संबंधित अपात्र व्यक्ति को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस कर अग्रेतर कार्रवाई करेगें।

14. संबंधित प्रखंडों में सर्वेक्षण कार्यो के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण हेतु अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा/उदाकिशनुगंज को अपने अनुमंडल क्षेत्रों के लिए नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है।

15. सर्वेक्षण कार्य को सख्त एवं सावधान तरीके से किया जाय। सर्वेक्षण कार्य में अनियमितता या लापरवाही या भ्रष्टाचार की शिकायतों को गम्भीरता से लिया जायेगा तथा दोषी कर्मियों के विरूद्ध अनुशासनिक तथा कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

ह0/-
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 569 /आ0 मधेपुरा, दिनांक 26.07.2016

प्रतिलिपिः– सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने–अपने अधीनस्थ सर्वेक्षण कर्मियों को पत्र का तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशनुगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना बिज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

वरीय प्रभारी पदाधिकारी

शाखा आपूर्ति

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक- 06-विविध-32/2011. 3995 खाद्य-पटना/दिनांक- 05/07/16

प्रेषक,

प्रकाश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में, 06 JUL 2016

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत नया राशन कार्ड निर्गत करने, राशन कार्ड में संशोधन/प्रत्यर्पण एवं रद्द किये जाने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि 'लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015' के कंडिका – 3 का उप कंडिका – 13, 14 तथा कंडिका– 4 का उप कंडिका– 7, 8, 9 में दिये गये प्रावधान के आलोक में 'बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016' के कंडिका– 21 (i) में अनुमंडल पदाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन पात्र गृहस्थियों की सूची तैयार करेंगे तथा राज्य सरकार द्वारा विहित प्रपत्र में राशन कार्ड निर्गत करने या राशन कार्ड में उपांतरण करने के लिए आवेदन प्राप्त करने, रजिस्ट्रीकरण करने, अभिस्वीकृति देने एवं प्रसंस्करण करने के लिए प्राधिकृत करते हुए कंडिका– 21 (ii) में निदेश दिया गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत पात्र आवेदकों को आवश्यक जांच ओर सत्यापन के पश्चात् आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक मास से अनधिक युक्तियुक्त समय के भीतर राशन कार्ड जारी करने हेतु निदेश दिया है । साथ ही कंडिका– 21 (iii) में यह भी निदेश दिया गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत विद्यमान राशन कार्ड के स्थान पर नया राशन कार्ड केवल तभी जारी करेंगे जब विद्यमान राशन कार्ड खो जाए या नष्ट या विरूपित होने के कारण उपयोग के योग्य न रह जाय या पूर्णतया समाप्त हो जाय या जब राशन कार्ड में उपांतरणों के लिए अनुरोध किया जाय। लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत नया राशन कार्ड निर्गत करने, राशन कार्ड में संशोधन/प्रत्यर्पण एवं रद्द करने के संबंध में निम्नलिखित निदेश दिये जाते है :–

1. RTPS के माध्यम से नये राशन कार्ड का निर्गमन, राशन कार्ड में संशोधन (नाम में संशोधन, नाम जोड़ना, नाम हटना) एवं राशन कार्ड का प्रत्यर्पण (Surrender) /रद्द किया जाने के लिए ऑफ लाईन मोड में आवेदन पत्र का प्रपत्र 'क' अथवा 'ख' में चेक लिस्ट में दिये गये कागजात के साथ RTPS काउंटर पर जमा किया जाएगा ।
2. आवेदन पत्र केवल एक ही प्रति आवेदक द्वारा भरी जायेगी ।
3. किसी व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक पार्टी द्वारा तादाद में प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाऐंगे ।
4. अपूर्ण आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जायेगा ।
5. आवेदक द्वारा बिना सही हस्ताक्षर किये हुए या बिना अंगूठे के निशान के आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जायेगा ।